29/9/25

GCMS
2024/501

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.10.01 12:13:20 IST
Reason: SelfAttested

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

चूनी देवी बनाम सरकार

किस्म मुकदमाः–136 एल0आर0एक्ट0 प्रकरण संख्याः–218/2024

GCMS:- 2024/501

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2025	वकील प्रार्थीया उपस्थित। वकील प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीया के नाम से संयुक्त खाता में भूमि वाके रोही सिंगरासर तहसील सूरतगढ़ के खाता संख्या 261/237 के खसरा नं. 279/2.428 हैक्टर, 298/1.884 हैक्टर, 522/5.678 हैक्टर, 544/1.265, 1112/535 में 1.581 हैक्टर कुल 12.836 हैक्टर बारानी दोयम खातेदारी भूमि में 1/7 हिस्सा खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थीया का नाम मीरादेवी पत्नी सुगनाराम दर्ज है। उक्त जैर प्रकरण भूमि प्रार्थीया को अपने पति से सुगनाराम से विरास्तन प्राप्त हुआ है। प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में मीरादेवी पत्नी सुगनाराम अंकित हो गया है। प्रार्थीया का सही नाम चुनीदेवी पत्नी सुगनाराम है। प्रार्थीया के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, वारिस प्रमाण पत्र, जन आधार, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि में प्रार्थीया का नाम चुनी देवी पत्नी सुगनाराम दर्ज है। प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नाम दुरस्त किया जावे। वकील प्रार्थीया की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी प0म0 सिंगरासर की रिपोर्ट अनुसार चालू रिकार्ड में प्राथ्रीया का नाम मीरा पत्नी सुगनाराम जाति मेघवाल दर्ज है। मौका पर पुछताछ व पेश दस्तावेज अनुसार प्रार्थीया का नाम चुनी देवी पत्नी सुगनाराम जाति मेघवाल है। और पुछताछ में भी चुनीदेवी पत्नी सुगनाराम जाति मेघवाल करना चाहती है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह कही भी साबित नही किया है कि प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में कभी चूनी देवी रहा है। प्रार्थीया ने जमाबंदी दुरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीया का नाम जमाबंदी में अशुद्ध कैसे हुआ है। यह साबित करने का भार स्वयं प्रार्थीया पर है। किन्तु प्रार्थीया यह साबित करने में असफल रही है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया साबित ना होने से निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया निरस्त किया जाता है। नंबर से कम हो। आदेश सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena Date: 2025.10.01 12:13:26 IST Reason: SelfAttested (भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	